

17/2/20 पत्रावली चेरा हुची। उभयपक्ष अधिवक्ता उपास्थिर।  
पत्रावली में मूल वाड शक्ति खारिज थे पुराष्ट्र अटः  
पुर्नगपत्र RTA 212 की सारहीन थे जोने से वही  
व्हट पर खारिज की जाती है। निर्णय आज  
खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेकल  
शुमा येरा दायिल दफ्तर या

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यालयक दण्डनायक  
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर